

१५.५.२१

पताबली पेश हुई | विकल प्रार्थकों प्रार्थो स्मं अनुपाखित |  
विकल प्रार्थकों प्रार्थो एवं अपाखी को न्यायालय -  
समक्ष तक ब्याह आना जल गवाई गई फिर -  
भी कोई उपाखित नहीं हुए |

अतः प्रार्थकों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ११२  
कोटी एच. व. डा. जी. की अन्तर्गत कोर्ट ० प्रमाण-०३  
के अन्तर्गत कोर्ट प्रथम डा. जी. अदम परको में  
व्याज प्रमाण आता है पताबली को सब सुमार  
कोर्ट जम्मा से काम होना दायित्व दफ्तर हो |  
निर्णय हुते न्यायालय में सुजाया गया |

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

